अतिआवश्यक

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय
मिड डे मील योजना
(Mid Day Meal Scheme)

मध्याह्न भोजन योजना
Mid day Meal Scheme

एफ 4(142) प्रा.शिक्षा / एमडीएम / एफ.सी.आई. / खाद्यान्न उ0वि0आ0 / पार्ट / 2018–19 / 1224 दिनांक : 12/02/19

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा

विषयः– चतुर्थ त्रैमास के खाद्यान्न (गेहूं /चांवल) का उठाव एवं विद्यालयों में वितरण करने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग के आदेश क्रमांक 1132 दिनांक 07.01.2019 द्वारा चतुर्थ त्रैमास (जनवरी,2019 से मार्च, 2019) के लिए खाद्यान्न (गेहूं /चांवल) का आवंटन किया जा चुका है। सम्भवतः आप द्वारा आवंटन अनुसार उठाव प्रारम्भ कर दिया होगा । यदि खाद्यान्न का उठाव अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया है तो तत्काल खाद्यान्न के उठाव की कार्यवाही सुनिश्चित करावें। खाद्यान्न उठाव के अभाव में यदि आवंटन Lapes होता है तो इसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे एवं किसी भी परिस्थिति में उठाव की अवधि नहीं बढाई जायेगी।

प्रायः विद्यालयों में यह स्थिति रहती है कि किसी विद्यालय में मॉग से अधिक मात्रा में खाद्यान्न मौजूद रहता है तो किन्हीं विद्यालयों में खाद्यान्न की कमी पाई जाती है, यह सब खाद्यान्न वितरण सही नहीं होने की स्थिति में होता है। अतः यह सुनिश्चितता करें कि जिले में मिड डे मील कार्यक्रम संचालित विद्यालयों मे मॉग अनुरूप एवं समय पर खाद्यान्न (गेहूं /चांवल) का वितरण हो ताकि किसी विद्यालय में खाद्यान्न की कमी नहीं रहे एवं छात्रों को पोषाहार से वंचित नहीं रहना पडे। परिवहनकर्ता से विद्यालय के कार्मिक खाद्यान्न (गेहूं /चांवल) तौल कर पूर्ण मात्रा में प्राप्त करें । जिला एवं ब्लाक स्तर पर दल गठित कर नियमित रूप से खाद्यान्न वितरण की प्रक्रिया एवं विद्यालयों एवं परिवहनकर्ता के स्टॉक की आवश्यक रूप से जॉच की जावे ताकि खाद्यान्न का किसी स्तर पर दुरूपयोग नहीं हो। खाद्याान्न उठाव की सूचना निम्न प्रपत्र में विभाग की ई मेल आईडी पर भिजवाना सुनिश्चित करें।

प्रपत्र

जिले का नाम

क्र.सं.	आवंटित खाद्यान्न			खाद्यान्न के उठाव का विवरण			खाद्यान्न उठाव की दिनांक	वि.वि.
	गेहूं	चांवल	योग	गेहूं	चांवल	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

www.rajteachers.com

अति.आयुक्त (वित्त)
मिड डे मील

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 समस्त जिला कलक्टर।
2 सहायक महाप्रबन्धक (स्कन्ध एवं बिक्री), भारतीय खाद्य निगम, जयपुर।
3 समस्त जिला रसद अधिकारी।
4 रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक (प्रशासन)

\\SHANKAR-PC\Users\Public\Allotment.docx